रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1490] नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2017/ज्येष्ठ 3, 1939
No. 1490] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2017/JYAISTHA 3, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 मई, 2017

का.आ. 1683(अ).—राष्ट्रपति द्वारा, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संहिता कहा गया है) को तारीख 28 मई, 2016 को अनुमति दी गई और इसी तारीख को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त संहिता की धारा 252 द्वारा उक्त संहिता की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 (2004 का 1) को संशोधित किया गया ;

और, रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 की धारा 4 के खंड (ख) के असंशोधित दूसरे परंतुक में उपबंध किया गया है कि निरसन अधिनियम, अर्थात् रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन मंजूरी दी गई कोई योजना या उपधारा (12) के अधीन कार्यान्वयनाधीन कोई योजना कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 424 घ के अधीन कार्यान्वयनाधीन योजना मानी जाएगी और कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग VIक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी;

और, जबकि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 424घ में उन योजनाओं के पुनर्विलोकन या मॉनीटर करने का उपबंध है जो मंजूरी दी गई हैं या कार्यान्वयनाधीन हैं;

और, जबकि कंपनी अधिनियम, 1956 निरस्त कर दिया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के रूप में पुनः अधिनियमित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 261 से धारा 264 के अधीन पुनः प्रवर्तन और पुनरूद्धार की योजना, योजना की मंजूरी, योजना को बाध्यकारी बनाने और योजना के क्रियान्वयन करने के लिए उपबंध किए गए हैं;

और, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 253 से धारा 269 का दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की ग्यारहवीं अनुसूची द्वारा लोप किया गया है;

और, जबकि, रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 की धारा 4 के खंड (ख) को संहिता की आठवीं अनुसूची से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध)

अधिनियम, 1985 के अधीन अपील प्राधिकारी को भेजी गई कोई अपील या बोर्ड के पास या बोर्ड के समक्ष लंबित कोई संदर्भ या जांच या किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही जो अपील प्राधिकरण या बोर्ड के समक्ष लंबित है, को उपशमित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यह उपबंध किया गया था कि वह कंपनी जिसके संबंध में ऐसी अपील या संदर्भ या जांच इस खंड के अधीन उपशमित हो जाती हैं, संहिता के प्रारंभ की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर इस संहिता के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को संदर्भ प्रस्तुत कर सकती है;

और, जबकि, रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के निरसन, को रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 की धारा 4 के खंड (ख) के प्रतिस्थापन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 253 से धारा 269 के लोप को देखते हुए रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन मंजूरी की गई योजनाओं या उपधारा (12) के अधीन कार्यान्वयनाधीन किसी योजना के पुनर्विलोकन या मानीटरिंग के संबंध में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 242 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् : —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (कठिनाइयां दूर करना) आदेश, 2017 कहा जाएगा।

2. रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 के संशोधन से संबंधित दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की आठवीं अनुसूची में धारा 4 में खंड (ख) के द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: —

"परन्तु यह भी कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अधीन मंजूरी दी गई कोई योजना या उप-धारा (12) के अधीन कार्यान्वयनाधीन कोई योजना दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन एक अनुमोदित समाधान योजना मानी जाएगी और उस पर उक्त संहिता के भाग II के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी :

परंतु यह भी कि यदि इस अधिनियम की अधिसूचना की तारीख तक वह कानूनी अवधि समाप्त नहीं हुई थी जिसके भीतर बोर्ड के किसी आदेश के विरुद्ध रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन कोई अपील अनुज्ञात की गई थी, तो ऐसी किसी मानित अनुमोदित संकल्प योजना के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है।"

[फा. सं. 30/7/2016-दिवाला-भाग II]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 24th May, 2017

S.O. 1683(E).—Whereas, the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) (hereinafter referred to as the said Code) received the assent of the President on 28th May, 2016 and was published in the official Gazette on the same date;

And, whereas, section 252 of the said Code amended the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Repeal Act, 2003 (1 of 2004) in the manner specified in the Eighth Schedule to the said Code;

And, whereas, the un-amended second proviso to clause (b) of section 4 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Repeal Act, 2003 provides that any scheme sanctioned under sub-section (4) or any scheme under implementation under sub-section (12) of section 18 of the repealed enactment i.e., the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986) shall be deemed to be a scheme under implementation under section 424D of

the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and shall be dealt with in accordance with the provisions contained in Part VIA of the Companies Act, 1956;

And, whereas, section 424D of the Companies Act, 1956 provided for review or monitoring of schemes that are sanctioned or are under implementation;

And, whereas the Companies Act, 1956 has been repealed and re-enacted as the Companies Act, 2013 (18 of 2013) which, *inter alia*, provides for scheme of revival and rehabilitation, sanction of scheme, scheme to be binding and for the implementation of scheme under sections 261 to 264 of the Companies Act, 2013;

And, whereas, sections 253 to 269 of the Companies Act, 2013 have been omitted by Eleventh Schedule to the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;

And, whereas, clause (b) of section 4 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Repeal Act, 2003 has been substituted by the Eighth Schedule to the Code, which provides that any appeal preferred to the Appellate Authority or any reference made or inquiry pending to or before the Board or any proceeding of whatever nature pending before the Appellate Authority or the Board under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 shall stand abated. Further, it was provided that a company in respect of which such appeal or reference or inquiry stands abated under this clause may make a reference to the National Company Law Tribunal under the Code within one hundred and eighty days from the date of commencement of the Code;

And, whereas, difficulties have arisen regarding review or monitoring of the schemes sanctioned under sub-section (4) or any scheme under implementation under sub-section (12) of section 18 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986) in view of the repeal of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, substitution of clause (b) of section 4 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Repeal Act, 2003 and omission of sections 253 to 269 of the Companies Act, 2013;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of the section 242 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby makes the following Order to remove the above said difficulties, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Insolvency and Bankruptcy Code (Removal of Difficulties) Order, 2017.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, in the Eighth Schedule, relating to amendment to the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Repeal Act, 2003, in section 4, in clause (b), after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

   "Provided also that any scheme sanctioned under sub-section (4) or any scheme under implementation under sub-section (12) of section 18 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 shall be deemed to be an approved resolution plan under sub-section (1) of section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the same shall be dealt with, in accordance with the provisions of Part II of the said Code:

   Provided also that in case, the statutory period within which an appeal was allowed under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 against an order of the Board had not expired as on the date of notification of this Act, an appeal against any such deemed approved resolution plan may be preferred by any person before National Company Law Appellate Tribunal within ninety days from the date of publication of this order."

[F. No. 30/7/2016-Insolvency-Part II]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.25 12:48:45 +05'30'